महत्वपूर्ण

संख्या–608 / 86–2018–8(सामान्य) / 2018

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग — लखनऊ दिनांकः 19 मार्च, 2018

विषयः– उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अर्न्तगत उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति जारी किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अर्न्तगत उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में पर्याप्त भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति न होने एवं मानसून से पूर्व पर्याप्त भण्डारण न होने के कारण मानसून अवधि में शासकीय कार्यो एवं जनसामान्य के लिए बालू/मौरम की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। मानसून अवधि (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुसार नदी तल में उपलब्ध उपखनिज यथा–साधारण बालू/मौरम के स्वीकृत खनन पट्टों से उपखनिजों का खनन व उसकी निकासी प्रतिबन्धित रहती है। मानसून अवधि में उपखनिजों की अनुपलब्धता हो जाने के कारण बाजार में उनके मूल्य में वृद्धि होने की सम्भावना बनी रहती है।

2. उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि मानसून सत्र के पूर्व ही आगामी अप्रैल माह में उक्त नियमावली के अर्न्तगत जनपद में उपखनिजों के पर्याप्त भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाएं, जिससे उपखनिजों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित हो सके और मानसून अवधि में साधारण बालू एवं मौरम की उपलब्धता की निरन्तरता बनी रहे एवं उनके मूल्य में वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति जारी करते समय यह ध्यान रखा जाये कि भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति की आड़ में नदी तल से अवैध खनन की सम्भावना न हो, अभिवहन प्रपत्र का दुरूपयोग न होने पाये एवं मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अर्न्तगत प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक जनपद में अप्रैल, 2018 में पर्याप्त मात्रा में भण्डारण हेतु

अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर मानसून से पूर्व पर्याप्त बालू/मौरम का भण्डारण सुनिश्चित करते हुये निर्गत भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति का विवरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–608(1)/86–2018–तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जनपदों में पर्याप्त मात्रा में साधारण बालू/मौरम के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने के प्रकरण की समीक्षा कर समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।